.....लगातार

संलग्न 4 की तामील प्रोपर नहीं हुई है। अधिवक्ता वादी प्रतिवादी सं. 4 की तलबी हेतु पुनः सम्मन प्रोसेस प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद जवाब प्रतिवादीगण दिनांक 20/12/2018 को पेश हो।

SDO

20/12/17 अधिवक्ता पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। प्रतिवादी सं. 4 की तलबी हेतु सम्मन प्रस्तुत नहीं हुए। अधिवक्ता वादी अदालती नोटिस पेश करे। नोटिस पेश होने पर जारी हो। अधिवक्ता प्रतिवादीगण जवाब प्रस्तुत करने का अवसर चाहते हैं। पत्रावली दिनांक 17/01/2018 को पेश हो।

SDO

17/1/18 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से श्री छोटूराम अधिवक्ता - श्री भूपेन्द्र पुरोहित उपस्थित। वादीगण एवं अधिवक्ता वादीगण अनुपस्थित। न्यायालय समय से एक-एक कर कई बार आवाज लगवाने पर भी वादीगण एवं अधिवक्ता वादीगण उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रकरण अदम हाजरी, अदम पैरवी से खारिज किया जाता है। पत्रावली कोसमय